क्या यह ना संगत है कि प्राचीन हिन्दू शास्त्रों में 'शासन के सिद्धान्तों' (Principles of Government) को दंडनीति की संज्ञा दी जाती थी। दीक्षित के शब्दों में, "दण्डनीति अप्राप्त को प्राप्त कराती है, प्राप्त की रक्षा करती है, तथा रक्षित की वृद्धि करती है।" महाभारत के शान्ति पर्व में कहा गया है कि दंडनीति चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का नियन्त्रण करती है तथा यह उन्हें कर्तव्यपालन के पथ पर चलाती है।

दंड धर्म का प्रहरी है। दंड राजा का मन्त्र है। दण्डनीति के अनुशासन में रहने वाला राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता।

मनु जिसे अराजकता की स्थिति कहता है हॉब्स ने उसे 'प्राकृतिक अवस्था' कहा है। दोनों ने प्रभुसत्ताधारी को सारे अधिकार इस शर्त पर सौंपे हैं कि वह प्रजा की रक्षा करेगा। परन्तु मनु ने राजा के धर्म के अनुशासन में रखा है परन्तु हॉब्स के चिंतन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(3) मंत्रिपरिषद का संगठन और उसके कृत्य

मनु सम्पूर्ण सामाजिक संगठन का आधार वर्ण-व्यवस्था को मानते हैं जिसके अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र - इन चार वर्णों का समावेश है। राज्य के सात अंगों में पहला अंग स्वामी अर्थात् राजा है, यह क्षत्रिय के लिए सुरक्षित है। दूसरा अंग अमात्य अर्थात् मंत्री है; यह स्थान ब्राह्मण को दिया गया है। आचार्य मनु कहते हैं कि "प्रातः काल उठकर राजा को विद्वानों के साथ ब्राह्मण की आराधना करनी चाहिए और उसके अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए।"

आचार्य मनु के अनुसार मन्त्रिपद पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जिनके पूर्वज यह गुरुतर कार्य करते आए हैं। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों को शास्त्रों का सम्यक् ज्ञान भी होना चाहिए। साथ ही मंत्री को धैर्यवान और शौर्यवान भी होना चाहिए। मनु का यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि मंत्री आलस्य-रहित, चतुर और प्रखरबुद्धि होने चाहिए।

आचार्य मनु ने विदेश मंत्री को दूत की श्रेणी में रखा है एवं मंत्रणा को गोपनीय रखने के लिए कहा है। मनु ने मद्यपान और अहितकारी का समय मंत्रणा कार्य के लिए उचित कहा है।

Scanned with CamScanner